UPSH040220142026

न्यायालय–अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट–तृतीय, कक्ष संख्या–15, शाहजहॉपुर।

जमानत प्रार्थना पत्र संख्या– 4869/2026

राज्य बनाम विरेन्द्र

मुकदमा अपराध संख्या–618/2021

धारा–60 आबकारी अधिनियम।

थाना–कांट, जिला–शाहजहॉपुर।

दिनॉक–13.08.2026

प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र पर अभियुक्त **विरेन्द्र** की ओर से मु०अ०सं०–618/2021 ,धारा– 60 आबकारी अधिनियम, थाना कांट , जिला–शाहजहॉपुर के मामले में प्रस्तुत किया गया है।

अभियुक्त का संक्षेप में कथन है कि प्रार्थी निर्दोष है तथा उसको झूंठा फंसाया गया है। प्रार्थी के विरुद्ध स्वतंत्र साक्षी नहीं है। प्रार्थी जमानत पर छूटकर जमानत का दुरुपयोग नहीं करेगा। अतः जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने की याचना की है।

विद्वान अभियोजन अधिकारी द्वारा अभियुक्त का अपराध जमानतीय होने का कथन किया गया है।

सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

अवलोकन से विदित है कि उक्त मामले में अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र पत्रावली में दाखिल है तथा संज्ञान लिया जा चुका है। अभियुक्त न्यायालय में उपस्थित है। अभियुक्त द्वारा किया गया अपराध मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा परीक्षणीय है। अतः मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए जमानत हेतु आधार पर्याप्त है। अतः जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

अभियुक्त **विरेन्द्र** द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाता है। अभियुक्त द्वारा मु० 20,000/– रू० की एक जमानत तथा उसी धनराशि का व्यक्तिगत बंधपत्र दाखिल करने पर उसे रिहा किया जाता है।

प्रभारी अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट–तृतीय,
कक्ष सं०–15, शाहजहाँपुर।